



सं० 1/9/एससीटीसी/2011-प्रशासन  
भारत सरकार  
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 30-3-12

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पीबी-2 रुपए 9300-34800 (जीपी 4200) (संशोधन पूर्व) रुपए 5500-175-9000/- में लेखाकार का पद प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानान्तरण पर भरा जाना ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मुख्यालय में पीबी-2 रुपए 9300-34800 (जीपी 4200) (संशोधन पूर्व) रुपए 5500-175-9000/- में लेखाकार के पद के लिए उपयुक्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है । इस पद के वर्गीकरण, वेतनमान, उम्मीदवारों की अर्हताएं तथा कार्य की अपेक्षाएं इत्यादि का ब्योरा अनुबंध-1 में दिया गया है । चुने गए अधिकारी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 17-6-2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

1. अधिकारी, जिन्होंने स्वेच्छा से पद के लिए आवेदन किया है उन्हें बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । केवल ऐसी अनुशंसा पर ही विचार किया जाएगा जिसके साथ अनुबंध-2 के अनुसार वांछित व्यक्तिगत ब्योरा और सतर्कता निकासी संलग्न होगी ।
2. अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक अधिकारियों के नाम जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो सी.आर. डोसियर सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इस परिपत्र के इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर भेज दिए जाएं ।

(एम.आर. बाली)  
भारत सरकार के निदेशक  
दूरभाष: 24601213

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. केन्द्रीय सरकार के सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय ।
3. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003.
4. श्री वाई. मिश्रा, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
5. इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार को इस अनुरोध के साथ कि रिक्त परिपत्र को शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाए ।

## अनुबंध- 1

पद का नाम	लेखाकार
पदों की संख्या	एक, पदों की संख्या बढ़ने की संभावना
वर्गीकरण	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख"
वेतनमान	पीबी-2 रुपए 9300-34800 (जीपी 4200) (संशोधन पूर्व) रुपए 5500-175-9000/-
पात्रता	<p>केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक, जिनकी सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 10 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक जिनकी ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा हो जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ एवं लेखाकार कार्य का प्रशिक्षण लिया हो तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>या</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जिन्होंने एसएस लेखा के सदृश पद धारण किया हो या किसी संगठित लेखा विभाग से एसएस उत्तीर्ण लिपिक ।</p>
वेतन	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 17-6-2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
कार्य अपेक्षाएं	रोकड़/लेखा/बजट इत्यादि तैयार करने संबंधित कार्य ।
प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।



वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात् नियमित/तदर्थ :

9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति पर धारित है तो कृपया बताएं :  
क) आरम्भिक नियुक्ति की तारीख  
ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि  
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबद्ध हैं ।
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्योरा :
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख दें और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं ।

तारीख	वेतनमान (संशोधन पूर्व)	मूल वेतन (संशोधन पूर्व)	वेतन के संशोधन की तारीख	संशोधित वेतनमान, पीबी और जीपी	संशोधित वेतन	मूल

12. इस समय मूल वेतन और प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां :
13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें । यदि स्थान अभाव हो तो एक अलग से शीट संलग्न करें ।
14. क्या आप अजा/अजजा के हैं :
15. अभ्युक्ति :

तारीख \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

पता: .....

**नियोक्ता/कार्यालयाध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं और उसके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

- I) उसके खिलाफ सतर्कता का कोई मामला लम्बित/अपेक्षित नहीं है ।
- II) उसका पिछले पांच वर्षों का पूर्ण सी.आर. डोसियर/ए.सी.आर. जिसका प्रत्येक पृष्ठ भारत सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित है, संलग्न है ।
- III) उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।
- IV) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई भारी/लघु शास्ति नहीं लगाई गई है ।
- V) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई भारी/लघु शास्तियों की सूची संलग्न है ।

हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पदनाम .....  
कार्यालय मुहर .....

स्थान:

दिनांक

अनुलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.